भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **1915** जिसका उत्तर

मंगलवार, 4 अगस्त, 2026 (13 श्रावण, 1948, (शक)) को दिया जाना है

पोत निर्माण संवर्धन और समुद्री वित्तपोषण

1915 श्री केसरीदेवसिंह झाला:

श्री उज्जवल देवराव निकम:

क्या **पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार भारतीय शिपयार्ड की प्रतिस्पर्धात्मकता सुदृढ़ करने हेतु पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति (एसबीएफएपी 2.0) का विस्तार तथा संवर्धन करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पोत निर्माण, नौपरिवहन, अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन, समुद्री समूहों तथा हरित परिवर्तन के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु समुद्री विकास कोष (एमडीएफ) स्थापित करने का प्रस्ताव किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित राष्ट्रीय पोत निर्माण मिशन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन पहलों के माध्यम से किन उद्देश्यों की प्राप्ति अभीष्ट है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) सरकार ने वैश्विक शिपयार्डों की तुलना में भारतीय शिपयार्डों के लागत संबंधी नुकसान को दूर करने के लिए ₹24,736 करोड़ के परिव्यय के साथ पोत-निर्माण वित्तीय सहायता योजना (एसबीएफएएस), जो पोत-निर्माण वित्तीय सहायता नीति (एसबीएफएपी) का विस्तार है, का अनुमोदन किया है।

(ख) पोत-निर्माण तथा मैरीटाइम क्षेत्र को दीर्घकालिक वित्तपोषण सहायता प्रदान करने के लिए ₹25,000 करोड़ की निधि के साथ मैरीटाइम विकास निधि (एमडीएफ) की स्थापना की गई है। इसमें समुद्री क्षेत्र के लिए इक्विटी वित्तपोषण में सहायता के लिए भारत सरकार से 49% भागीदारी के साथ ₹20,000 करोड़ की मैरीटाइम निवेश निधि (एमआईएफ) तथा शिपयार्डों के लिए ऋण की प्रभावी लागत में कमी लाने के लिए ₹5,000 करोड़ की ब्याज प्रोत्साहन निधि (आईआईएफ) सम्मिलित है। समुद्री विकास निधि के लिए 20.02.2026 को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। एसबीआई वेंचर्स लिमिटेड को 26.05.2026 को एमआईएफ के लिए निधि प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है।

(ग) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पोत-निर्माण योजनाओं अर्थात् पोत-निर्माण वित्त सहायता योजना (एसबीएफएएस) और पोत-निर्माण विकास योजना (एसबीडीएस) के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए नोडल एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय पोत-निर्माण मिशन (एनएसबीएम), एक अंतर-मंत्रालयी निकाय स्थापित किया गया है। एनएसबीएम द्वारा मूल्यांकन के बाद पोत-निर्माण विकास योजना के तहत आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में पोत-निर्माण विकास योजना के तहत, ग्रीनफील्ड पोत-निर्माण क्लस्टरों के विकास के प्रस्तावों के साथ ही विभिन्न मौजूदा शिपयार्डों की तीन ब्राउनफील्ड क्षमता विस्तार परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।

(घ) इन पहलों का उद्देश्य भारत को मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृत काल विजन, 2047 के अनुरूप पोत-निर्माण और समुद्री क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
